Mind and Society ISSN 2277-6907
Vol.07, No. III & IV , Sep. & Dec. 2018 Page 48 to 51

'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन

** सुरमणी मंगदा*
*** डॉ. सुनीला शर्मा*

Received	Reviewed	Accepted
19 Sep. 2018	24 Sep. 2018	30 Sep. 2018

वर्तमान समय में शिक्षा ही समाज में उन्नति व विकास का आधार है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में देश को गतिमान करने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 न्यायोचित कानूनी ढांचे का प्रावधान करता है जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का अधिकार देता है। जिससे देश में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है। शासन के इस प्रयास से समाज का निम्न वर्ग लाभान्वित हो रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम'' के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन करना है। निःशुल्क शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों से इस अधिनियम की वास्तविक उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त करना है। प्रस्तुत सर्वेक्षण अध्ययन विभिन्न निजी विद्यालयों के 30 शिक्षक एवं उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले निर्धन विद्यार्थियों के 30 अभिभावकों पर किया गया। उपकरण के रूप में 10 प्रश्नों वाले स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। परिणाम में पाया गया कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षकों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण में सार्थक रुप से समानता है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2009 भारतीय संसद द्वारा सन् 2009 में पारित शिक्षा संबंधी एक विधेयक है । इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने के लिए उपबंद करेगा । इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। यह बच्चों के साम्यता और गैर भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित अधिकार के लिये प्रावधान करता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा का अधिकार देता है जो दबाव, डर व चिंता से मुक्त है।

इस अधिनियम की विशेष बात यह है कि इसके अंतर्गत निजी विद्यालयों में भी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि गरीब व पिछड़े बच्चों को निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत दर्ज संख्या आरक्षित कर प्रवेश दिलाया जा सके। बच्चों को शिक्षा के साथ–साथ पुस्तकालय, पेयजल, खेलकूद का मैदान, शौचालय सुलभ कराया जाए। वर्तमान

** सहायक प्राध्यापक, शिक्षा, रामकृष्ण इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रायपुर, छत्तीसगढ़*
***सहायक प्राध्यापक, शिक्षा,रामकृष्ण इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रायपुर, छत्तीसगढ़*

समय में शिक्षा ही समाज में उन्नति व विकास का आधार है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में देश को गतिमान करने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है।

एम.पी.जैन (2010) ने संविधान के विभिन्न पहलुओं को समझाया हैं कि संवैधानिक रूप में भी पाठ्य टिप्पणियो को बढ़ाए जाने के लिए नेतृत्व किया है। इसमें दिये गये विभिन्न उदाहरणों में से एक यानी उनमें से एक अनुच्छेद 21 की शुरूआत हुई क्योकि शिक्षा पर एक नये अध्याय के मौलिक अधिकार की आवश्यकता है। अनुच्छेद 21 लोगों के जीवन की गुणवत्ता में रचनात्मक सुधार करता है। अदालत ने अनुच्छेद 21 से लोगों के लिए अधिकारों का एक बंडल आर टी ई के रूप मे निहित किया है। जैसे – निजता का अधिकार तथा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार।

डॉ. मुकेश गर्ग एवं नरेशलता सिंगला (2012) ने यह देखा कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के साथ–साथ बुनियादी मानव अधिकार भी है । यह अधिकार केवल मानव के विकास के लिए ही नहीं बल्कि देश का भी विकास है। नागरिको को शिक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है। सोनिया (2012) ने समझाया कि शिक्षा के बिना व्यक्ति केवल पशु के समान है । भारत देश के विकास के लिए लोगों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में विकास की आवश्यकता है। वहॉ बच्चों के लिए शिक्षा के विभिन्न मुद्दे जैसे–बाल श्रम, लड़कियों की दुर्दशा, भारत में बच्चों के लिए खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा की समस्याओं से निपटने की जरूरत है। इस अधिनियम की सीमाऍं हटा दे ंतो शिक्षा भारत के प्रत्येक बच्चे तक पहुॅच जाएगी।

आशुतोष बैरागी एवं आशीष श्रीवास्तव (2013) ने उस मूल्यांकन को रखा है जो सभी मौजूदा नीतियों, योजनाओं और न्यायिक फैसलों के अधिकार से संबंधित शिक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र पर एक प्रश्न है । शिक्षा के अधिकार का कार्यान्वयन उचित नहीं है यह पत्र का विश्लेषण करने का प्रयास करता है स्कूल शिक्षा के अधिकार आधारित मॉडल के विभिन्न धागे द्वारा यह निश्चित रूप से एक संपूर्ण अधिकार द्वारा फ्रेम वर्क प्रदान नहीं करता है ।

श्री जगदीप सिंह (2014) ने देखा कि शिक्षा महत्वपूर्ण कारक है आर्थिक विकास और मानव कल्याण में सुधार लाने के लिए अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति को जीवन भर की कमाई मिल जाती है। शिक्षा के माध्यम से हमारा देश भी विकसित होता है। आर टी ई के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान उपलब्ध है। हमारी भारत सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है लेकिन लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाना ही सबसे बड़ी समस्या है। डॉ. प्रणिता चौधरी (2014) ने कहा कि अधिकार सार्वभौमिक प्राथमिकता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ शिक्षा को लागू किया गया था । शिक्षा और सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार और भ्रष्ट आचरण अभी भी एक मिथक नहीं है ।

अनामिका पाण्डे तथा रचना श्रीवास्तव (2014) ने विश्लेषण किया है कि 21 A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम ''फ्री'' शब्द को शामिल करता है इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा जिसे उसके माता–पिता ने एक स्कूल में भर्ती कराया है जो कि सरकार द्वारा समर्थित किसी भी प्रकार के शुल्क या प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ाने से रोक सकता है। यह प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। अधिकार शिक्षा अधिनियम 2009, 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। पर लागू 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ इसमें राज्य 6–14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कानून द्वारा निर्धारित करता है ।

''शिक्षा का अधिकार अधिनियम'' 2009 के आने के पश्चात् देश में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है। देश में शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था सुदृढ़ व सुव्यवस्थित हो सकेगी तथा जरूरतमंद जनता तक गुणवत्तायुक्त शिक्षा पहुँच सकेगी। शासन के इस प्रयास से समाज का निम्न वर्ग लाभान्वित हो रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम'' के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन करना है। निःशुल्क शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों से इस अधिनियम की वास्तविक उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त करना है।

समस्या

''शिक्षा का अधिकार अधिनियम'' के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार एवं उनके शिक्षकों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। प्रस्तावित शोध समस्या जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम'' के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् निर्धन विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन में शोध की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा निर्धन बच्चों को निजी विद्यालयों

में शिक्षित किये जाने का प्रावधान है। निजी विद्यालयों में अध्ययन करने पर बच्चों के शैक्षिक व्यवहार में परिवर्तन को शिक्षकों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण के आधार पर देखने का प्रयास किया जा रहा है।

परिकल्पना

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम'' के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार में परिवर्तन नहीं पाया जायेगा।

2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम'' के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं पाया जायेगा।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। अध्ययन हेतु विभिन्न निजी विद्यालयों के 30 शिक्षक एवं उन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले निर्धन विद्यार्थियों के 30 अभिभावकों द्वारा आंकड़ों का संग्रहण किया गया ।

उपकरण के रूप में प्रस्तुत शोध कार्य में प्रमाणीकृत प्रश्नावली उपलब्ध ना होने के कारण स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया है। जिसमें 10 प्रश्नों को लिया गया है । जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 विकल्प क्रमशः (हॉ) व (नहीं) तथा प्रत्येक विकल्प में (हॉ) के लिए 1 अंक व (नहीं) के लिए 0 अंक प्रदान किये जायेंगे तथा इस तरह प्रत्येक परीक्षण के प्राप्तांकों का योग ज्ञात कर कुल योग या प्राप्तांक प्राप्त किया जायेगा जो शोधार्थी के लिए प्रदत्तों का कार्य करेंगे तथा कुल 60 शिक्षकों एवं अभिभावकों के प्राप्तांकों को ज्ञात किया जायेगा ।

परिणाम

तालिका क्रमांक 1

शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षकों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण की तुलना

समूह	संख्या (N)	Mean (M)	SD	df	t-value	सार्थकता का स्तर
शिक्षकों का दृष्टिकोण	30	7.8	2.04	58	0.19	NS
अभिभावकों का दृष्टिकोण	30	7.9	2.12			

ग्राफीय प्रदर्शन :

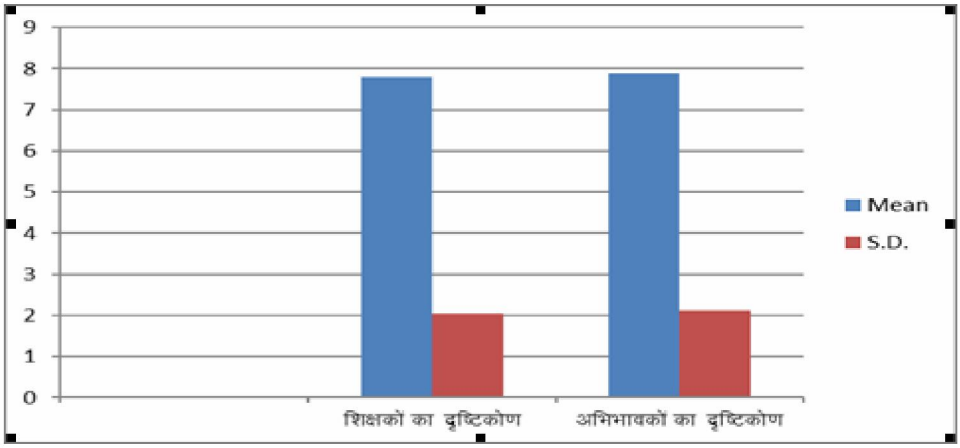

तालिका क्रमांक 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षकों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण में सार्थक अंतर नहीं है । प्राप्त t=0.19 जो कि सांख्यिकीय रूप से सार्थकता स्तर पर सिद्व नहीं है, इस बात का प्रमाण है कि शिक्षक (M=7.8) तथा अभिभावक (M=7.9) समान रूप से मानते हैं कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने से विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आया है । व्यवहार परिवर्तन आयाम से संबंधित प्रश्नावली पर प्राप्त अंक यह दर्शाते हैं कि शिक्षकों एवं अभिभावकों के अनुसार शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार में धनात्मक परिवर्तन आया है। प्राप्त परिणामों को ग्राफ में भी दर्शाया गया है।

निष्कर्ष

शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षकों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। शिक्षक तथा अभिभावकों का समान रूप से मानना था कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों मे प्रवेश के उपरांत विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आया है। शिक्षकों एवं अभिभावकों का यह मानना है कि विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर के वृद्धि हुई है जो विद्यार्थी पढ़ने में रूचि नहीं दिखाते थे वे निजी विद्यालय के वातावरण से प्रेरित होकर पढ़ाई में रूचि दिखा रहे हैं और उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार हो रहा है । अतः सरकार का यह कदम बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है।

Referece

Anamika Pandey and Rachana Shrivastava (2014) "Right To Education (RTE) Act 2009" INNOVARE J***ournal of Education, Vol 2, Issue 1, 2014 ISSN: 2347-5528, Pg.1-3.***

Ashutosh Bairagi, Ashish Shrivastava (2013) "Right To Education In India: A Study" Indian Streams ***Research Journal, Volume 3*** Issue 2 March 2013, ISSN:-2230-7850, Pg.1-9.

Dr. Mukesh Garg Nareshlata Singla(2012)"Right To Education In India: Challenges And Accessibility" ***International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences (IJARMSS), Volume 1, Issue 3***, September 2012 ,ISSN: 2278-6236, Pg.191-202

Dr. Pranita Chaudhary (2014) "The Myth of Right to Education" IOSR Journal Of Humanities ***And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 19***, Issue 12, Ver. I (Dec. 2014), e-ISSN: 2279-0837, Pg. 37-41.

M.P.Jain (2010) ***"Indian Constitutional Law"***5th edition 2010, Lexis Nexis Butterworth publication"; ***Wadhawa &*** company Nagpur. ISBN 978-81-8038- 263-5 Pg. 4.

Mr. Jagdeep Singh (2014) "Article 21A (Right To Education): Critical Analysis" TRANS Asian ***Research Journal Asian of Multidimensional Research (AJMR), Vol. 3,*** Issue. 3, March 2014, ISSN: 2278-4853, Pg. 45-50.

Sonia (2012) "The Right to Education Act: An Overview" Indian Streams Research Journal, Volume - 2, Issue – 11, Dec. – 2012, ISSN 2230-7850, Pg.1-9.